# कार्यालय पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व

# प्रेस नोट

**दिनांकः- 11.10.2023**

- **<u>अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधी को PIT एन.डी.पी एस एक्ट 1988 के तहत 01 वर्ष के लिए निरूद्ध किया गया</u>**
- **<u>अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त अवैध सम्पति को जब्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।</u>**

श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस आयुक्त, जोधपुर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध **PIT एन.डी.पी.एस एक्ट 1988 के** तहत ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने के क्रम में पूराराम पुत्र श्री भीयाराम जाति जाट उम्र 29 साल निवासी डांगियावास पुलिस थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व के विरूद्ध कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसमें से 03 प्रकरण अवैध मादक पदार्थ तस्करी के है। प्रकरण संख्या 131/28.05.2011 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना सेन्दडा जिला पाली दर्ज होकर उसके कब्जे से 257.100 कि.ग्रा अवैध डोडापोस्त बरामद होने पर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया। मगर न्यायालय से जमानत होने के बाद उक्त अपराधी पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त हो गया और उसके विरूद्ध प्र0स0 105/15.06. 2022 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व में दर्ज हुआ और उसके कब्जे से 120ग्राम एम.डी.एम.ए. बरामद हुई तथा प्र0स0 34/14.03.2023 धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व दर्ज हुआ जिसमें 11 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त बरामद हुआ। इस प्रकार पूराराम लगातार अवैध मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त रहा और माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के बाद पुनः अवैध मादक पदार्थो की तस्कारी में सक्रिय हो जाता तथा तस्करी से मिलने वाले अवैध धन से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहकर आमजन में खौफ पैदा करता जिस कारण उसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देने व माननीय न्यायालय में गवाही देने से कतराते। इसी भय को फायदा उठाकर पुराराम काफी लम्बे समय से कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा जिसके कारण वह स्वछन्द होकर अवैध मादक

पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहा। जिस पर उक्त पूराराम को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने की रोकथाम हेतु **PIT** एन.डी.पी.एस एक्ट 1988 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत निरूद्ध करने का प्रस्ताव थानाधिकारी पुलिस थाना–डांगियावास से प्राप्त होने पर मन् पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व द्वारा उक्त प्रस्ताव गृह विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाया गया था, जिस पर गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08.08.2023 को गैर सायल पूराराम को निरूद्ध करने के आदेश जारी हुए। दिनांक 10.08.2023 अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व वाहन चैकिंग की नाकाबंदी के दौरान उक्त पूराराम द्वारा पुलिस की नाकाबंदी को तोडते हुए पुलिस के सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गया। जिस पर उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की जाकर उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। तथा गृह विभाग से जारी निरूद्धगी आदेश की पालना में गैर सायल पूराराम को गिरफ्तार कर दिनांक 12.08.2023 को उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर में दाखिल करवाया गया। त्त्पश्चात उक्त प्रकरण के गैर सायल को सलाहकार मण्डल द्वारा सुना गया व रिपोर्ट तैयार की गई।

आज दिनांक 11.10.2023 को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सलाहकार मण्डल की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान शासन सचिव गृह (विधि) राजस्थान सरकार द्वारा उक्त गैर सायल पूराराम को निरूद्ध की दिनांक से 01 वर्ष के लिए निरूद्ध रखने के आदेश जारी किये गये है।** गैर सायल का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है।

| क.स | मु.नं/ दिनांक | धारा व थाना | फोटो |
|---|---|---|---|
| 1 | 131/28.05.2011 | 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना सेन्दडा जिला पाली | |
| 2 | 46/24.04.2014 | 323,327,341,392,298,500,501,153ए,153बी, भादस थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व । | |
| 3 | 105/15.06.2022 | 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व | |
| 4 | 34/14.03.2023 | 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व | |
| 5 | 126/10.08.2023 | 332,353 भादस व 3 पीडीपीपी एक्ट पुलिस थाना डांगियावास जोधपुर पूर्व । | |

**नोट: अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध भविष्य में भी कठोर प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी एवं अवैध मादक पदार्थो की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त करवाने की कार्यवाही की जावेगी।**

(डॉ. अमृता दुहन)
पुलिस उपायुक्त,
जोधपुर पूर्व